कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर।

पत्र संख्या– 2462 /331 दिनांक, मिर्जापुर,अप्रैल 27, 2023.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव
पश्चिमी क्षेत्र उ0प्र0 कानपुर।

विषयः जनपद मीरजापुर के कैमूर वन्य जीव प्रभाग के हलिया रेंज के अन्तर्गत प्रान्तीय लोक निर्माण विभाग, मीरजापुर द्वारा भटवारी–मतवार सम्पर्क मार्ग ,मतवरिया–मतवार सम्पर्क मार्ग, बढ़ौही परसिया वाया औरा सम्पर्क मार्ग, फुलियारी सम्पर्क मार्ग सिलहटा सम्पर्क मार्ग, मेंजा वॉध (ददरी) से नदना वाया मटिहरा– सगरा मार्ग व खरिहट खुर्द से केंड़वर सम्पर्क मार्ग तक जिला–मीरजापुर (उत्तर प्रदेश) मे प्रस्तावित विभिन्न मार्गो के नवनिर्माण से प्रभावित आरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 3260/11–सी–एफ0पी0/यू0पी0/रोड/150065/2021 दिनांक 12.04.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों के निराकरण हेतु इस कार्यालय के पत्र सं0–2352/33–1 दिनांक 16.04.2023 द्वारा अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 मीरजापुर लिखा गया। अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 मीरजापुर अपने पत्रांक 1137/1 मार्ग दिनांक 21.04.2023 के माध्यम से संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकण उपरान्त इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। जिसके आधार पर आख्या निम्नवत हैः–

क्र0 सं0	आपत्ति	उत्तर
1	परियोजनाओं की स्वीकृति का शासनादेश/आदेश प्रस्ताव में संलग्न नही है।	आपत्ति के सम्बन्ध में परियोजनाओं की स्टीमेट प्रस्ताव में पूर्व से ही संलग्न है। उक्त प्रस्ताव मा0 मुख्यमंत्री द्वारा सभी ग्रामों के सम्पर्क मार्ग निर्माण योजना के घोषणा के अन्तर्गत प्रस्तावित है अतः इसमें अन्य कोई परियोजना की स्वीकृति का शासनादेश/आदेश की आवश्यकता नहीं है व ग्रामों के सम्पर्क मार्ग निर्माण मा0 मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत है। जिनकी समीक्षा मा0 सांसद राज्य सभा मीरजापुर कर रहे है। जिनका पत्र संलग्न है।
2	प्रस्ताव में पान होने वाले वृक्षो की सूची संलग्न है। किन्तु आनलाइन भाग–2 के अनुसार व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहित सारांश संलग्न नहीं है।	आपत्ति सं0–2 के अनुसार संशोधित वृक्षों की सूची प्रस्ताव में संलग्न कर दी गयी है।
3	प्रस्ताव में मानक शर्तो के मान्य होने की पूर्ण 18 मानक शर्तो क वचनबद्धता संलग्न नहीं की गयी है।	आपत्ति सं0–3 के अनुसार प्रस्ताव में मानक शर्तो के मान्य होने की पूर्ण 18 मानक शर्तो क वचनबद्धता प्रस्ताव में संलग्न कर दी गयी है।
4	रोड चौड़ीकरण के प्रस्ताव में रोड साइड पट्टी वृक्षारोपण कराये जाने की वचनबद्धता प्रमाण पत्र जो प्रभागीय वनाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित हो, प्रस्ताव संलग्न नहीं है।	आपत्ति सं0–4 के अनुसार उक्त प्रस्ताव में सम्पर्क मार्ग का निर्माण प्रस्तावित है। अतः इस प्रस्ताव मे रोड साइड पट्टी वृक्षारोपण कराये जाने की वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
5	बाधक वृक्षो की दशा में प्रयोक्ता एजेंसी से Entire Tree Transplant (ETT) की शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र जो प्रभागीय वनाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित हो, प्रस्ताव संलग्न नहीं है।	आपत्ति सं0–5 के अनुसार Entire Tree Transplant (ETT) की वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
6	प्रस्ताव में संलग्न पेनड्राइव में प्रस्तावित एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल की के0एम0एल0 फाइल को अपलोड नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की एक पी0डी0एफ0 फाइल प्रस्तावित एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल की के0एम0एल0 फाइल को पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न करें।	आपत्ति सं0–6 के अनुसार संशोधित प्रस्ताव की एक पी0डी0एफ0 फाइल प्रस्तावित एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल की के0एम0एल0 फाइल को पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।

भवदीय

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग,मीरजापुर।

संख्या– 2462 /331 समदिनांक।।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, मीरजापुर को उपरोक्त के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
मीरजापुर

Raj K-3

Scanned with OKEN Scanner